



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिक युवती से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2016 धारा-452,354बी,506 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अरविन्द सिंह पुत्र रामसिंह नि0 ग्राम सायर थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को 04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री अवधनरेश  
चन्देल



विवेचक-  
उ0नि0 श्री रामकृष्ण  
यादव



पैरोकार- थाना बिंवार  
का0 प्रेम सिंह